अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक: 195   दिनांक: 19-8-2011

निदेशक, जन स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 47--48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डारों (General Stores) का सुदृढीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण/अतिरिक्त काउन्टर स्थापना/नवस्थापना/संचालन करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि वर्ष 2011–12 में मा0 मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 47–48 की अनुपालना में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन (RMSC) का गठन किया जाकर दिनांक 02.10.2011 से राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है।

बजट घोषणा की अनुपालना हेतु विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयों के निःशुल्क वितरण हेतु संलग्नानुसार पूर्व से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों के सुदृढीकरण यथा रेक्स, कुर्सी, स्टूल, रेफ्रिजरेटर का क्रय एवं लघु मरम्मत एवं रंगाई–पुताई आदि कार्य, पूर्व से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों पर अतिरिक्त खिडकी या काउन्टर स्थाना तथा नये औषधि वितरण केन्द्रों की स्थापना की जानी है। इसके साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के सामान्य भण्डारों (General Stores) का सुदृढीकरण यथा लघु सिविल कार्य, रंगाई–पुताई, विद्युत संबन्धित कार्य, आवश्यकतानुसार रैक्स, ट्रॉली, व फर्नीचर क्रय आदि द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग द्वारा संचालित औषधि वितरण केन्द्रों का भी निःशुल्क औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जाना है।

उपर्युक्तानुसार चिकित्सा संस्थानों के सामान्य भण्डारों के सुदृढीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण/स्थापना/संचालन हेतु संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा संस्थानवार अतिरिक्त बजट प्रावधान करवाने के लिए आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन है। उक्त प्रस्तावित अतिरिक्त आंवटन बजट शीर्षवार सैद्धान्तिक रूप से वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त अतिरिक्त बजट प्रावधान मुख्य बजट शीर्ष 2210 एवं संबंधित विभिन्न उप बजट शीर्षो 03 से संबंधित है एवं इसके प्रस्ताव भी आपके द्वारा एकल पत्रावली पर वित्त विभाग को प्रेषित किये गये है। अतिरक्त बजट प्रावधानों का वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होते ही बजट आवंटन की कार्यवाही पृथक से की जानी है। जैसा कि आपको विदित है कि आरएमएससी का दायित्व औषधियों/सूचर्स/सर्जिकल्स का क्रय करके जिला औषधि भण्डार गृहों में भण्डारण करने तक ही सीमित है। जिला औषधि भण्डार गृहों से सम्बन्धित जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों द्वारा निःशुल्क वितरण की व्यवस्था आपके द्वारा ही सम्बन्धित सीएमएचओ, पीएमओ एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से करवाई जानी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के सामान्य भण्डारों (General Stores) का सुदृढीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण/अतिरिक्त काउन्टर स्थापना/नव स्थापना/संचालन करवाना सुनिश्चित कराएँ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराएँ।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान (समस्त)।
3. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ